unfortunately, the Departments concerned, except one or two, are not taking corrective actions immediately. At least, some information should reach the Members concerned. Thank you very much.

SHRI R.S. GAVAI (Maharashtra): Madam, I associate myself with what Shri Manoj Bhattacharya has stated.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs is there. Shrimati Bhavanaben Chikalia, you can take a note of them and convey them to the concerned Ministers.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावना बेन देवराज भाई चिकलिया) : महोदया, जो विषय उठाया गया है, मैं संबंधित मंत्रालय को अवश्य सूचित करूंगी।

THE DEPUTY CHAIRMAN: What he has suggested is this. उसके बारे में तो उन्होंने कहा ही है पर उन्होंने जनरली बात की है कि स्पैशल मैंशन जो यहां होते हैं उनके लिए चेयरमैन साहब परमिशन देते हैं। उसके बाद बहुत कम मिनिस्टरीज़ से उनका जवाब आता है।

श्रीमती भावना बेन देवराज भाई चिकलिया: महोदया, मैं अवश्य सूचित करूंगी कि जवाब ठीक तरह से मिले।

GOVERNMENT BILL

The Indian Council of World Affairs (Amendment) Bill, 2003

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the Indian Council of World Affairs (Amendment) Bill, 2003 for consideration.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH): Madam, I beg to move:

"That the Bill to amend the Indian Council of World Affairs Act, 2001, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

उपसभापति महोदया, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर 1943 में बड़ी उम्मीद और अरमान से बनाया गया था और जिन लोगों ने इसे बनाया था, वे राज्य सभा के निर्माताओं में से थे। अगर मैं उन लोगों का नाम इस सदन में सुनाऊं तो ऐसा लगेगा कि जहां एक ओर राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी वहीं दूसरी ओर उनके सामने देश को बनाने का सपना भी था। उस सपने में, यह देश कैसा बनेगा, आगे चलकर उसके दुनिया में क्या रिश्ते होंगे, इन सारे सवालों को लेकर इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना करने वाले लोगों में पंडित जवाहर लाल नेहरु से लेकर

डा॰ राधाकृष्णन्, जाकिर हुसैन, तेज बहादुर सप्रू, हृदयनाथ कुंजरू आदि ऐसे नाम हैं जिन्हें हम आधुनिक भारत के निर्माताओं की श्रेणी में रखते हैं। इसी परंपरा को लेकर 1947 में पहली बार, जब देश आजाद भी नहीं हुआ, आजाद भारत का दुनिया के साथ क्या रिश्ता होगा, की बात हुई। आजादी 1947 के अगस्त महीने में मिली, लेकिन 1947 के मार्च महीने में ही एशिया का रिश्ता कैसा बनेगा, को लेकर इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर, जिसे हम सब-हाउस के नाम से भी जानते हैं, वहां पर यह सम्मेलन किया गया था और आजाद भारत की रूपरेखा, उसकी विदेश नीति की रूपरेखा तय की गई थी। आज मैं सिंघवी साहब से बात कर रहा था, सिंघवी साहब चालीस-पैंतालीस साल से उससे जुड़े हुए हैं, यहा पर हमारे सारे ऐसे सदस्य हैं जिनका उनसे रिश्ता है, मैं खुद अपने विद्यार्थी जीवन में, जब मैं जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उसी लाइब्रेरी के अंदर अपने शोध का काम करता था, मैंने एम॰ फिल॰, पी॰एच॰डी॰ का काम उसी लाइब्रेरी से किया। इतने बड़े, इतने महान् उद्देश्य और उन दिशाओं को तय करने वाले इस इंडियन कौंसिल वर्ल्ड अफेयर को बनाने, देखने, सोचने, समझने का हम सब लोगों को मौका मिला। उपसभापति महोदया, धीरे-धीरे हालात ऐसे बिगड़ते गए कि इसी सदन की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की दो-दो, तीन-तीन समितियों की रिपोर्ट आई, जिसमें यह कहा गया कि इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर को सरकार अपने हाथ में ले ले। सरकारें आई, गई। संसदीय समिति में भी अलग-अलग तरह के लोग आए लेकिन उस पर सभी लोगों की एक आम सहमति थी कि इस इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर को सरकार अपने हाथ में लेकर सुव्यवस्थित चलाए और उसी दिशा में सरकार ने अपने कदम उठाए थे। कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे, जिन प्रावधानों से सारा सदन अवगत है, बनाने वाले लोग भी वहां पर मौजूद हैं, जिन लोगों ने अपनी राय इसके बारे में दी थी, कुछ हमारी राय में असहमति, सहमति भी आई थी, हमने उन सारी चीजों को समाहित करने का प्रयास किया है। आज जब मैं आपके सामने इसे लेकर खड़ा हूं तो मेरे लिए यह बताना जरूरी है कि इसको बनाने के पीछे जो उद्देश्य थे, वे बाद में कैसे टूट गए। टूटने के पीछे कारण यह था कि जब इसे बनाया गया था तो लोगों ने कभी यह नहीं सोचा था कि विद्वानों की जमात के रूप में, दूरदर्शी लोगों की दृष्टि के रूप में जिस संस्था का उद्देश्य है, इसे बनाने का सपना है वह ऐसे लोगों के हाथों में चली जाएगी, जहां पर उसकी सारी एकडेमिक क्रेडिबिलिटी, कैपेबिलिटी, सब समाप्त हो जाएगी। शायद यही कारण था कि जब संसदीय समिति ने इसके बारे में रिकमेंडेशन दी और इसका अनुमोदन किया था कि सरकार अपने हाथ में ले ले, तब यह बात उसके ध्यान में थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता होती है कि जिस काम को सरकार ने किया, जिस काम को संसदीय समिति ने किया, उसके बारे में इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जो अभी कुछ दिनों पहले आया है, अगर उसे मैं उद्धृत करूं तो उससे ऐसे लगता है कि सरकार के उस फैसले से, संसदीय समिति के उस फैसले से उच्चतम न्यायालय भी सहमत है। उपसभापति महोदया, अभी जो फैसला आया है, उसमें मैं सुप्रीम कोर्ट की कुछ बातों को उद्धृत करना जरूरी समझूंगा, जो इस सदन के लिए जरूरी है। इसमें एक बात उन्होंने

कही है कि "It is submitted that the Department has changed from time to time with different political leanings. However, three Parliamentary Standing Committees appointed at different points of time have recommended taking over of the Sapru House lamenting the decline in the standard of the institution. Earlier Ordinances are matters of History and of mere academic relevance in view of the Parliament having untimely enacted the Act." यह एक बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने आगे जाकर कही है कि "in the submission of the Union of India, the building and library have been built out of the Government of India's funds and some donations received from the persons of eminence of former Prime Ministers and the Presidents of India and other dignitaries. The society does not have any right in any of the properties as being claimed by the petitioner." सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है:

"The activity of the Society which was being conducted through the Institution, the Indian Council of World Affairs, has been adversely affected, and that the extent of validity of the legislation shall have to be tested by reference of sub-clause (a) of clause 1 of article 19. The activitiy was of the Society, and the Society cannot come under a fundamental right. Even otherwise, the impunged legislation is reasonably a legislation enacted in the interest of the general public and to govern an institution of national importance."

सुप्रीम कोर्ट आगे अपने फैसले में कहती है:

"The Central Government acted on such a finding, circumstances warranting an emergent action, satisfied the President of India, resulting in promulgation of an Ordinance which earlier could not culminate into a legislative enactment on account of fortuitous circumstances. The legislation cannot be said to be arbitrary or unreasonable."

उपसभापति महोदया, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इसलिए उद्धृत कर रहा हूं, क्योंकि जो काम सरकार ने किया उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मुहर लगाई गई और जो संसदीय समिति की रिपोर्ट थी, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा कि किन हालात में सरकार को इस संस्था को लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। हम नहीं चाहते थे। जब से यह सोसायटी के रूप में काम कर रही थी तब से जिन लोगों के संबंध इससे थे, उनमें पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का तो इस संस्था से संबंध इतना था कि हम लोग भी जब विद्यार्थी जीवन में आए तो हम लोग इस संस्था को देखने के लिए प्रेरित हुए कि आखिर यह कौन सी ऐसी संस्था थी जिसमें जवाहर लाल जी, प्रधानमंत्री की

हैसियत से हफ्ते में कम से कम एक बार जाते थे। वहां बैठकर, चाय पीकर, लोगों से बहस करते थे, सदस्यों से बात करते थे। लायब्रेरी में कौन सी किताब आनी चाहिए इसके बारे में अपने ख्याल रखते थे। तो हम लोगों को भी अपने विद्यार्थी जीवन में यह बात प्रेरित करती थी कि इतना बड़ा व्यक्तित्व और इस ऐसी संस्था को बनाने के पीछे उनकी क्या वृत्ति थी। शायद यही वजह थी कि जब देश आजाद हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद इसी संस्था में इंडियन स्कूल ऑफ् इंटरनेशनल स्टडीज बनाया गया, जो बाद में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का हिस्सा बन गया। यह इस बात को दर्शाता है कि इस संस्था को बनाने के पीछे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल जी, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन साहब की दिलचस्पी की वजह यही थी कि वे इस संस्था के माध्यम से भारत की तस्वीर को दुनिया में पेश करना चाहते थे और दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को इस देश का हिस्सा बनाना चाहते थे। इतने बड़े उद्देश्य से यह संस्था बनाई गई थी और उस संस्था का, जिस तरह से उसका धीरे-धीरे, मैं कहूं कि उतार आया, जिस तरह से उसके बारे में हम सब लोगों ने मिल कर अलग-अलग समय पर अपनी राय दी, उससे यह पता चला कि यह संस्था अब ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है, जिससे जिस उद्देश्य के चलते यह इंडियन कौंसिल ऑफ् वर्ल्ड अफेयर बनायी गयी, वह उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। इसीलिए सरकार ने उसे अपने हाथ में लिया। उपसभापति महोदया, मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता होती है कि सरकार की मंशा, इस बारे में बिल्कुल साफ है। कुछ हमारे सदस्यों के मन में यह भ्रांति हो सकती है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ् एक्सटर्नल अफेयर्ज से उसको चलाना चाहते हैं। हमारे मन में कतई यह इच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि यह संस्था अपनी गौरवमयी परंपरा में वापस लौट कर चली आए। कोई भी सरकार आए या जाए, लेकिन देश वही रहेगा, देश की जो यह एक ताकतवर संस्था है, इसमें बाहर के लोग आकर अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। दुनिया के किसी बड़े व्यक्तित्व का नाम मैं यहां लू, वे सब लोग जब पहले भारत आते थे तो इंडियन कौंसिल ऑफ् वर्ल्ड अफेयर में जाकर भाषण दिया करते थे। चाहे वे किसी भी देश के प्रधान मंत्री हों, राष्ट्रपति हों, जिनकी योग्यता इस काबिल समझी जाती थी जिनकी अकैडमिक कैपेबिलिटी के बारे में लोग जानते थे उनको आमंत्रण देकर इसमें बुलाया जाता था। हम फिर चाहते हैं कि इस संस्था को उसी रूप में देश के सामने रखा जाए। यह पूरा सदन इससे सहमत है। जो हमने अमेंडमेंट रखा है, वह अपने सहयोगियों और मित्रों से पूछ कर रखा है। अगर कोई अच्छे सुझाव होंगे, अगर और भी कोई सुझाव इसके बारे में आएगा तो सरकार उसको मानने को तैयार है। हमारे मत में किसी तरह की कोई यह भावना नहीं है कि सरकार का उस पर अधिकार हो या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्ज़ उसको चलाए। विदेश नीति पर कहीं कोई बहस इस देश में नहीं होती। कभी-कभी होती भी है तो हम उसको इन्कार्पोरेट करते हैं। हम लोगों को कई बार कहा जाता था और कई तरह के आरोप लगाए जाते थे, लेकिन हमको लगता है कि हमने उन चीजों को स्वीकर कर लिया। आखिर इसी सदन में कई बातें ऐसी भी हुई हैं कि जिस पर सरकार की राय कभी अलग दिखी, लेकिन हमारे जो विरोधी पक्ष के लोगों ने कहा, दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं,

इस तरह के दस्तावेज़ को संसद् में रखना चाहिए ..... । हम ने उस को स्वीकार कर लिया क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी सदस्य सुझाव देता है, वह देश के हित को मानकर देता है, देश का हित सर्वोपरि समझकर देता है। उपसभापति महोदया, जब देश का हित सर्वोपरि है तो उस का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए मैं ने इस बिल को आप के सामने रखा है और मुझे यकीन है कि हमारा जो अमेंडमेंट है, उस को सदन सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेगा।

The question was proposed

THE DEPUTY CHAIRMAN: As I said, 30 minutes have been allocated. The Minister has elaborated the purpose and what the Government wants to do. Shri Kapil Sibal.

SHRI KAPIL SIBAL (Bihar): Madam, I have, first of all, to place on record my appreciation of the Government and congratulate the Minister for having moved the amendments in a spirit of cooperation and keeping in mind some of the concerns that the Congress Party had in this matter.

We have no doubts in our minds that the intent of taking over the Sapru House was to bring back the prestige and glory of the institution as demonstrated in the history of its functioning in the past. We have no fears that the Government will in the best interests of the nation take the institution forward in that direction. I, therefore, congratulate the Government for having taken this bold step and for having expressed its intent as far as the functioning of the institution is concerned.

We may have our differences of opinion conceptually as to how this institution should look like today, but we have no difference of opinion that the goal that we want to reach is to make this institution a showcase for the international community, and a showcase which will prove to the world that we too have in our country institutions which represent the best intellect of the country and produce the kind of quality-work that can be produced by similar institutions in other parts of the world. By the diverse representation in the ICWA of various sections of society, be they academicians, scientists, strategic experts, defence analysts, researchers, or Members of Parliament, through these amendments you have ensured that the diversity of public opinion will be reflected in the constitution of the Council and that is, I believe, very good for the institution in the long term.

2.00 P.M.

You have also, through these amendments, indicated that, at the first instance, the Council, as constituted under Clause 7(1), will appoint all the functionaries—the Vice-President and other representatives of various organisations—which too, I think, is a very healthy sign.

I have only one conceptual concern that I will place before the Minister and, that is, that in my recent visits to various countries of the world, I have found that a large number of democratic Governments of the world take their inputs from independent think-tanks even though those independent think-tanks may be funded by the Government. Whereas in some countries of the world, the think-tank is entirely independent, there are other countries, especially in Europe, where think-tanks are, in fact, funded by the Government, but other than funding, the Government has no linkage with that think-tank; and then the think-tank gives inputs to the Government in respect of its policies, be it in the field of diplomacy or otherwise.

So, what I request the hon. Minister to do is to make the ICWA such an institution which would be an independent think-tank for purposes of informing the Government of its policy options depending on the variables in respect of any particular issue. This can only be done if the Government, after appointing these functionaries, says, 'we have now appointed you, now it is for you to take this institution forward. As far as we are concerned, we will welcome criticism. We will welcome any form of suggestion, and the Government will take that into account in the formulation of policy'. If that is the spirit in which the institution will be allowed to function, I am sure that is the intent of the Government, then, we will soon see the ICWA reach the pinnacle of its prestige, the kind of prestige that the hon. Minister has mentioned it enjoyed in the past. The hon. Minister rightly mentioned that the people who subscribed to this institution in the form of a registered society were doyens of the past, people who were world personalities, that anybody in India could be proud of. So, we, therefore, expect and hope that kind of prestige will be regained by this institution. I am sorry to say that it fell into bad days. The Government's step was appropriate and timely. I welcome the amendment and we wholeheartedly support it. Thank you very much.

DR. L.M. SINGHVI (Rajasthan): Madam, I welcome the Indian Council of World Affairs (Amendment) Bill, 2003 and the amendments which have

been moved by the hon. Minister who has also a very long association with this body. His vision of the Indian Council and his hopes and expectations for the Indian Council are shared by this House. Madam, I happened to be the Member of this House nominated to the Council, but the Council did not even get started. I do hope that the Council will soon be launched in a full-fledge manner, and will be sustained by the support of the Government and the two Houses of Parliament.

Madam, I don't think that State assistance necessarily compromises the autonomy of this or other institutions. I think, in our country, it is important that autonomy and accountability are combined. And I hope that this institution will prove to be a model of accountability, a model of autonomy and a model of intellectual freedom geared to the course of our nation in the matter of Foreign Policy.

Madam, I think, we owe a tribute to deep gratitude to Pandit Hridaya Nath Kunzru who was the moving spirit behind the foundation of the Council. I had the privilege of being the Vice-President of the Council, when Pandit Hridaya Nath Kunzru was its President. I think, Madam, the undoing of the Council which should always be remembered was the entry into it of forces which were partition, which inteded to capture the organisation. That is why it became necessary, for the right reasons, to rehabilitate, to reinstate, to resurrect and to rescue this organisation. That is why it is important that in 2001, we did enact the legislation. But, Madam, this is now the year 2003. We have already lost two valuable years. I think it is important that the blueprint of hope is now implemented in the matter of creating this institution as a model institution. Perhaps, we should create an international intellectual centre for international affairs. There is very little that is available today in what is called the Third World countries, so far as the intellectual inputs of this kind are concerned. We need to restore its library; we need to establish its intellectual credentials, for this institution will flourish and blossom only when its intellectual credentials are well established. Madam, I would like to make the point that the institution and its credentials have to be established where a lot of inputs are required lot of inputs in terms of studies, research, relevant research, contemporary research, analysis of the futuristic nature is what is important.

Madam, it will depend on who is chosen as the Member-Secretary

and the Director-General. I do hope that the Government will choose a dynamic officer of the rank, maybe, of Secretary, because the provision is that it will not be below the rank of Additional Secretary, and that it would be possible for us to turn this institution into something of which the nation would be proud. I think, the fact that it is now being put in the public domain links it to the national purpose, as the hon. Minister has rightly pointed out, "by and large, our foreign policies are bipartisan, not controversial." it is important for us to keep the levels of awareness, in the matter of foreign policy, at a high-level. At the same time, to ensure its autonomy by introducing academics, by introducing eminent persons in the country, to carry on the discourse on foreign policy in a way which helps the nation and which helps us all.

It should, Madam, once again, become the premier Indian national and international forum on foreign policy. It should, once again, be an institutional vehicle for policy analysis and for policy studies and it should provide, once again, a contemporary thrust in the matter of foreign policy issues. It is also not to be lost in the way in the leverance of bureaucratisation. It is important that these amendments are carried out. It is also important, Madam, that the Vice-President of India, who would be the President of the Indian Council of World Affairs, is assisted by a council which is able to help him steer the course of this organisation, and that a Chairman or Executive Chairman is appointed to carry out the work of this institution.

May I say that we, today, move, once again, from despair to hope and from hope to expectation. It is on that note that I would like to support the Bill and also the amendments which have been moved this afternoon. Thank you.

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिम बंगाल): माननीय उपसभापति महोदया, आज यह विधेयक मामलों से संबंधित भारतीय परिषद विधेयक 2001 का संशोधन करने वाला विधेयक, जो मंत्री जी लाये हैं और बड़ी ही सुन्दर शब्दावली में उन्होंने इसके उद्देश्य और कारणों का जो वर्णन किया है, उसे मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले तो मैं श्री कपिल सिब्बल जी की बातों से अपनी सहमती जाहिर करना चाहूंगी और यह कहना चाहूंगी की आजादी मिलने के साथ-साथ जो देश के महान व्यक्तित्व थे, उनकी दृष्टि में एक सार्विक उन्नति का सपना था और उन्होंने इस देश में जहां गेहूं की खेती को बढ़ावा देना चाहा था, वहीं गुलाब की सुगंध को भी बढ़ावा देना चाहा था। पंडित नेहरु का कहना था कि हम इस देश में गेहूं और गुलाब दोनों की समृद्धि को समन्वित रूप से देखना चाहते हैं और

इसीलिए नेहरु जी, सप्रू, राधाकृष्णन और कुंजरु आदि अनेक विद्वानों ने मिलकर एक ऐसे कल्चरल इंस्टिट्यूशन की बात सोची थी आईसीडब्ल्यूए, जो किन्हीं कारणों से अपनी प्राचीन गरिमा खोने लगा था। इसीलिए संसदीय समितियों ने यह सिफारिश की थी कि सरकार इसका अधिग्रहण कर ले। सरकार ने इसको अधिग्रहीत किया तो है लेकिन इन दो वर्षों के बीच ऐसा कोई काम नहीं हो पाया, कोई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संबंध सुधारने की कोई नीयत भी नहीं दिखाई पड़ी और न ही कोई महत्वपूर्ण शोध कार्य ही किया गया। इसलिए प्राय: अखबारों में इसको लेकर चर्चा होने लगी कि कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों को एन॰डी॰ए॰ सरकार गैर-एकीकृत करना चाह रही है। तो मैं यह कहना चाहूंगी कि इस संस्थान के बारे में अगर आप यह चाह रहे हैं कि सचमुच यह अपनी प्राचीन महिमा और गौरव को फिर से स्थायित्व दे पाए, तो आपकी यह पहल बहुत अच्छी है।

मैडम, हमारी जो उपसभापति महोदया हैं, वे स्वयं आईसीसीआर की चेयरपरसन हैं और उनके यहां आने के बाद से इस परिसर में हम देख रहे हैं कि कितने ही कार्य-कलाप हो रहे हैं। ऐसे ही अगर आपके आई॰सी॰डब्ल्यू॰ए॰ भी कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करने में आगे बढ़ेगी तो हमें खुशी ही होगी। जैसा कि इसमें पीछे है जिन मामलों में संबंधित भारतीय परिषद के उपबंध में परिषद के शासी निकाय द्वारा चयन किए जाने वाले सात सदस्य, यहां आपने जोड़ा है कि जो मीडिया के क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति हों या ऐसे संगठनों के जैसे इंडिया सेंटर, सेंटर फार पॉलिसी रिसर्च, इंडियन कौंसिल आफ सोशल साईंस रिसर्च, रक्षा अनुसंधान और विश्लेषण संस्थान और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद प्रतिनिधी हों। यहां मैं कहना चाहूंगी कि साहित्यिक और कला जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी यहां जोड़ना चाहिए।

उपसभापति: इसके लिए आधा घंटा ही दिया था।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: बस, एक मिनट में जितना बोला जा सके। मैं मंत्री जी से यह गुजारिश करना चाहूंगी कि इसे विकसित करके एक स्वायत्त वैचारिक संस्थान के रूप में आप मान्यता दें और सरकार के दबाव से उसे बाद में मुक्त कर दें। अभी तक जब वे सुसंगठित नहीं हो जाती और जब उसे खोयी हुई अपनी प्राचीन गरिमा नहीं मिल जाती तब तक आप उसे उन्नयन दें। लेकिन फिर सरकारें आएंगी जाएंगी, जो आपने कहा है वैसे ही, सचमुच यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के नाम को रोशन करने वाली एक धर्मनिर्पेक्ष स्वायत्त इकाई हो, इस रूप में अगर इसका संगठन होता है तो मैं इसका स्वागत करूंगी।

यहां के जो पूर्व प्रेजीडेंट थे उन्हें हटाया गया जिन पर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। अखबारों में यह चर्चा पढ़ने को मिली कि उन आरोपों की कोई जांच नहीं कराई गई। लेकिन वह जांच करानी चाहिए। उन्होंने भी कुछ प्रत्यारोप मंत्रियों पर लगाए थे कि यह आपसी राजनीतिक लड़ाई है। अगर यह किसी प्रकार की राजनीतिक लड़ाई थी तो दोनों ही जांचें होनी चाहिए थी जिससे जनता के

सामने स्पष्ट हो जाए। डायरेक्टर जनरल के आफिसर के बीच में नियुक्त करने के स्थान पर कला, साहित्य और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर अधिकारिकता रखने वाले विद्वानों में से किसी को चुना जाए। मैं यह आपको सिफारिश देना चाहूंगी जिससे कि अपनी नीयत पर किसी को संदेह न हो। लोक सभा के कुछ सदस्यों को रखा गया था लेकिन उसके बाद मई के महीने तक कोई मीटिंग नहीं हुई। अगर लोक सभा के सदस्यों का नाम रखा गया था तो राज्य सभा में हमारे यहां डिफ्रेंट फील्ड में इम्पोर्टेंट लोगों की कोई कमी नहीं है। इसलिए राज्य सभा से भी किसी एक सदस्य को नामित किया जाए। अगर इसके लिए एक कोर ग्रुप बना दिया जाए जो आई॰सी॰डब्लू॰ए॰ के कार्यकलापों की निगरानी करे तो यह परिषद सच्चे अर्थों में अपने खोये हुए गौरव और गरिमा को प्राप्त कर सकेगी। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Virumbi, do you also want to say something?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): One or two things.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Then say, I support this Bill.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam Deputy Chairperson, I rise to support the Bill and thank the hon. Minister for bringing in this amendment. Madam, I think, there are only a very few Bills which get support from all sections of the House. This Bill is appreciated in the sense, Madam, that a few days back, your goodself arranged a Seminar on the Role and Relevance of Rajya Sabha. In that Seminar you found how youth responded to it. Therefore, it is essential to say something for them. Madam, there are only two points that I have to make. I am referring to sub-section 2 of section 4 of the original Act. It states that the headquarters shall be Delhi and the Council may, with the approval of the Central Government, shall have branches at other places. I hope the Indian Council of World Affairs would take up this task and inform the House when it establishes its branches at Chennai, Kolkata, Mumbai and other State capital cities because it will be very helpful for the next generation. That is number one. I hope that it will be done. Out of 39 members of this Council, one member happens to be a Member of the other House. Madam, it is not a practice to quote from the speeches made in the other House. But that Member had informed the other House that the meeting of Council had not been convened for two years. Maybe, during initial period we cannot analyse the working of the Council. We cannot do it in a year or two. At least, it takes quinquennium to find out how it functions. Therefore, I hope the hon. Minister would have taken

note of it. If it is not convened, as has been mentioned by Smt. Chandra Kala Pandey, it should be convened immediately.

The third point is this. The papers of the Council should also be circulated to the Members of both the Houses of Parliament the way the Parliamentary papers are now being circulated.

With these word, I support this Bill. Thank you.

श्री दिग्विजय सिंह: उपसभापति महोदया, बहुत कुछ इसमें बोलने का मुझे नहीं लगता है लेकिन मैं उन सदस्यों को धन्यवाद जरूर दूंगा जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया है, श्री कपिल सिब्बल साहब डा. सिंघवी, श्रीमती चन्द्रकला पांडे, श्री विरूम्भी जी। मैं एक ही बात का आश्वासन सरकार की तरफ से फिर दुबारा देता हूं। वह यह कि आप सब लोगों के मन की इच्छा है कि इस संस्था को जो इसके सपने लेकर इस संस्था को बनाने के पीछे इसका उद्देश्य था एक ऐसी संस्था बनाई जाए और बहुत हद तक इसमें कामयाबी भी मिली थी और इसीलिए शायद इन लोगों को इससे एसोसिएट किया गया है उपराष्ट्रपति जी जो इस सदन के सभापति हैं वे इसके अध्यक्ष होंगे। प्रधान मंत्री, स्पीकर लोक सभा, लीडर आफ अपोजीशन राज्य सभा, लीडर आफ अपोजीशन लोक सभा और लीडर राज्य सभा। इन सभी की एक समिति है जिसकी देखरेख में या जिसकी सलाह पर कौंसिल बनेगी और कौंसिल में उन लोगों को रखा जायेगा जो अपने-अपने क्षेत्रों के माहिर लोग हैं जिसका जिक्र इसमें किया गया है। श्रीमती चन्द्रकला पांडे जी ने कहा कि उसमें कला के लोगों को भी जोड़ना चाहिए। यह जाहिर ही है कि जब उन लोगों की नियुक्ति होगी तो उसमें कला को कभी इग्नोर नहीं किया जायेगा। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: शब्दावली में कला के लोगों का उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री दिग्विजय सिंह: कला उसमें इसलिए नहीं लिखा गया है कि बेसिकली यह इंटरनेशनल अफेयर का मामला है। लेकिन हम उसमें कभी ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति: चन्द्र जोड़ दें। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीतीश कुमार: उसमें चन्द्रकला जोड़ दें। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: उसके लिए आईसीसीआर है जिसकी डा॰ नजमा जी अध्यक्ष है। उसका भी हमारे मंत्रालय की तरफ से ख्याल रखा गया है और उसकी चेयरमैन डा॰ नजमा जी है यहां आईसीसीआर की। मैं सहयोगी के रूप में उस काम को देखता हूं। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि हमारी एक ही इच्छा है और वह इच्छा है कि यह संस्था अपनी खोयी हुई गौरवमयी परम्परा को फिर से पा लें। उसमें जो भी सलाह आयेगी, जो भी सुझाव आयेंगे, उन्हें हम मानेंगे। सरकार की भूमिका

उसमें नगण्य है। अभी यह कहा गया कि कौंसिल की बैठक नहीं हुई। अभी कौंसिल बन ही नहीं पाई है और इसी कौंसिल को बनाने में हमारे कपिल सिब्बल साहब की पार्टी के कुछ लोगों को शुरू में कुछ एतराज हो गया था। हमारे मन में कोई इस तरह की दुविधा नहीं थी। उन्होंने जो प्रस्ताव रखा, जो सुझाव दिया, हम उसको स्वीकार करते हैं और इसी भाव से स्वीकार करते हैं कि यह सब लोगों की संस्था होगी और यह संस्था सचमुच भारत की विदेश नीति को तय करने में अपनी एक भूमिका निभायेगी चाहे वह पक्ष के लोग हों, चाहे विरोध के लोग हों। कपिल सिब्बल साहब, मैं आपको खुद बताता हूं। मैं खुद उस संस्था से जुड़ा हुआ था। मैं तब सरकार का पक्षधर नहीं था, मैं सरकार के खिलाफ था। कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी और हम लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ के लोग थे। ... (व्यवधान)...

श्री कपिल सिब्बल: हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा में भी आप सरकार के पक्षधर नहीं रहेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह: मै इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि यह संस्था ऐसी ही थी और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जब इस संस्था को बनाया था तो इसके पीछे या जो लोग इससे जुड़े हुये लोग थे, जवाहर लाल जी का व्यक्तित्व आचार्य नरेन्द्र देव सोशिलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे और बनारस हिन्दू विश्वद्यिालय का उनको वाइस चांसलर बनाया गया, वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, जहां इस देश में इस परम्परा को लेकर लोगों ने शिक्षाविदों को इकटठा करने का काम किया था या उनके सुझाव लिये उनकी राय ली तो हम भी यही चाहते हैं कि उस परम्परा को फिर से जीवंत बनाया जाए और उसमें आप सब लोगों ने सहयोग किया इसके लिए मैं आप सब के प्रति आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I put the motion to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Indian Council of World Affairs Act, 2001, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall not take up the Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clause 2 (Amendment of section 7)

SHRI DIGVIJAY SINGH: Madam, I move:

That at page 1 ***after*** line 9, the following be ***inserted,*** namely:

'(ii) in clause (b) for the words "to be nominated by the Council", the words brackets and figures "to be nominated, in the first instance by the Council constituted under sub-section" shall be substituted.

That at page 1, line 10 ***for*** the brackets and Roman numeral (ii) the brackets and Roman numeral (iii) be *substituted.*

That at page 1, ***after*** line 11, the following be ***inserted,*** namely:

'(iv) in clause (e) for the words "to be nominated by the Council", the words brackets and figures "to be nominated, in the first instance by the Council constituted under sub-section (1) and thereafter by the Council constituted under this sub-section" shall be *substituted;*

(v) in clause (f) for the words "to be nominated by the Council", the words, brackets and figures "to be nominated in the first instance by the Council constituted under sub-section (1) and thereafter by the Council constituted under this sub-section" shall be *substituted;*

That at page 1, line 12, ***for*** the brackets and Roman numeral "(iii)" the brackets and roman numeral "(iv)" be *substituted.*

That at page 2, line 1, ***for*** the brackets and Roman numeral "(iv)" the brackets and roman numeral "(vii)" be ***substituted.***

That at page 2, line 3, ***for*** the brackets and Roman numeral "(v)" the brackets and roman numeral "(viii)" be ***substituted.***

The questions were put and motions were adopted.
Clause 2, as amended, was added to the Bill.
Clause 3 (Amendment of section 15)

THE DEPUTY CHAIRMAN: In clause 3, there are three amendments. Mr. Minister, you move, the amendments of the Government.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Madam, I move:

That at page 2, *for* lines 7-8, the following be *substituted*, namely:—

"(1) There shall be a Director-General of the Council who shall, before a Council is constituted under sub-section (2) of

section 7, be appointed by the Council constituted under sub-section (1) of that section and thereafter during the tenure of a Council constituted under sub-section (2) of section 7, by that Council.

(1A) Every appointment of the Director-General under sub-section (1) shall be made from a panel of at least two names recommended by the Government of India in the Ministry of External Affairs."

That at page 2, line 9, *for* the brackets, figure and alphabet "(1A)" the brackets, figure and alphabet "(1B)" be *substituted.*

That at page 2, line 10, *for* the brackets, figure and alphabet (1B), the brackets, figure and alphabet "(1C)" be *substituted.*

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Madam, I beg to Move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

GOVERNMENT RESOLUTION

Resolution Approving Recommendations of Railway Convention Committee, 1999

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Nitish Kumar to move the Resolution.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): Madam, I move:

"That this House approves the recommendations contained in para 51 (with modification of 3 years time limit to 9 years) and in paras 49, 50, 52, 53, 54, 55 and 56 of the English Report of the Railway Convention Committee (1999) appointed to review the rate of dividend payable by the Railway Undertaking to General Revenues etc., which was laid on the Table of the Rajya Sabha on 24.07.2003."